राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1847/2013

अलीमुद्दीन खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला कलेक्टर, धौलपुर (राज.)।
2. रमेश चंद, (एलडीसी) कार्यालय तहसीलदार, भू अभिलेख अनुभाग, बसेडी, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2013
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर पदोन्नति आदेश दिनांक 04.10.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और जिस तिथी उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 01.07.1982 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने दसवीं की योग्यता वर्ष 1984 में उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वरिष्ठता सूची दिनांक 24.05.2013 को प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 13 पर और निजी प्रत्यर्थी श्री रमेश चंद का नाम क्रम संख्या 20 पर दर्शाया गया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी आयोजित की गई। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा

दिनांक 29.10.1990 को परिपत्र जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षण के संबंध में कोई रोस्टर सिस्टम/ बैकलॉग लागू नहीं होगा तथा समस्त विभागों को डीपीसी रिव्यू करने के निर्देश दिये गये। आदेश दिनांक 04.10.2013 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 7 कार्मिकों को एलडीसी के पद पर पदोन्नति दी गई, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को भी पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पदोन्नति आदेश दिनांक 04.10.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रिव्यू डीपीसी आयोजित कर एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और जिस तिथी उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि विभाग द्वारा जो डीपीसी एलडीसी के पद के लिये की गई है। वह नियमानुसार करते हुये कार्मिकों को एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है, जो कार्मिक उक्त पद पर पदोन्नति योग्य योग्यता रखते थे, उन्हीं कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 01.07.1982 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने दसवीं की योग्यता वर्ष 1984 में उत्तीर्ण की। आदेश दिनांक 24.05.2013 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दिनांक 01.04.2013 से अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 13 पर अंकित किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम क्रम संख्या 20 पर अंकित किया गया। राज्य सरकार के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2005 जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रयोगशाला सेवक कर्मचारियों को

कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षण/रोस्टर/बैकलॉग लागू नहीं होने का उल्लेख किया गया है तथा आदेश में यह भी उल्लेख है कि जिन जिला शिक्षा अधिकारियों ने एलडीसी के पद पर पदोन्नति आरक्षण/रोस्टर प्रणाली लागू करते हुये की है, तत्काल उसकी रिव्यू डीपीसी कर नियमानुसार उसे सही करें और इस प्रकार आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, वरिष्ठता सूची अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 13 पर अंकित किया गया, जिसमें उसी योग्यता सैकण्डरी दर्शायी गई है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम क्रम संख्या 20 पर अंकित किया गया है और उसकी योग्यता हायर सैकण्डरी दर्शायी गई है और इस प्रकार हमारे मत में वरिष्ठता सूची के आधार पर एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.10.1990 जिसमें एलडीसी के पद पर पदोन्नति के संबंध में आरक्षण/रोस्टर/ बैकलॉग लागू नहीं किये जाने को कहा गया है और इस प्रकार उपरोक्तानुसार अपीलार्थी अपने कनिष्ठ कार्मिक श्री रमेश चंद के समान पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी एलडीसी के पद पर पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो रिव्यू डीपीसी आयोजित कर नियमानुसार अपीलार्थी के नाम पर एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री रमेश चंद को पदोन्नति एवं समस्त लाभ प्रदान किये गये हैं उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य